भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.07.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1813 का उत्तर

अनारक्षित डिब्बे

1813. श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बे लगाने के लिए कोई उपाय करने पर विचार किया जा रहा है जिनके टिकट यात्रीगण स्टेशन के पटल से ही ले सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वातानुकूलित कोचों में चादर-तकिए, कंबल और पर्दों की सुविधा की बहाली के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): क्षेत्रीय रेलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि नियमित गाड़ी संख्या के साथ पहले से बहाल गाड़ियों में, द्वितीय श्रेणी की सीटों को आरक्षित या अनारक्षित के रूप में उसी तरह चिह्नित किया जाए जैसाकि यह महामारी से पूर्व अवधि के दौरान प्रचलित था।

तदनुसार, महामारी से पूर्व अवधि के दौरान प्रयोज्यता के अनुसार अधिकांश गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित डिब्बों को बहाल कर दिया गया है।

(ग) लिनेन और पर्दों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पात्र अधिकांश चिह्नित गाड़ियों के एसी डिब्बों में लिनेन एवं कंबल और पर्दे की व्यवस्था की गयी है।

लिनेन की सुविधा को शीघ्र बहाल करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है/या की जा रही है:

i. **एक वर्ष के लिए खादी/हैण्डलूम के अतिरिक्त मिल में तैयार लिनेन के प्रापण की अनुमति।**

ii. **वित्त वर्ष 2022-23 में लिनेन सेवाओं की पुन: बहाली के कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधकों को अस्थायी तौर पर 3 महीने की अवधि के लिए कोटेशन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।**

iii. **लिनेन की खरीद के लिए पहले से आवंटित बजट के अलावा 200 करोड़ रू. की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।**

****